–दस–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्याः क0नि0–5–1/11–2001–500(137)/99
लखनऊः दिनांकः01 जनवरी, 2001

अधिसूचना

आदेश

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेष संशोधन) अध्यादेश, 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2000 की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 01 जनवरी, 2001 को ऐसा दिनांक नियत करते है जब उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या : क0नि0–5–1/11–2001–500(137)/99 तददिनांकः

प्रतिलिपिः हिन्दी तथा अग्रेजी सूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनांक 08.01.2001 के असाधारण गजट के भाग–4, खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियॉ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियॉ आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0/सचिव, राजस्व परिशद, इलाहाबाद के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(यू0के0एस0 चौहान)
विषेश सचिव।

संख्याः क0नि0–5–1/11–2001–500(137)/99 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त, स्टाम्प उ0प्र0/अपर सचिव, राजस्व परिषद, इलाहाबाद को भारतीय स्टाम्प (उ0प्र0संशोधन) अध्यादेश 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0–18 वर्ष 2000) के सम्बन्ध में विधायी विभाग द्वारा जारी अध्यादेश सं0–2585/सत्रह–बी–1–2– (क)17/2000, दिनांक 29.12.2000 की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को प्रति सहित आवष्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास विकास, परिषद, लखनऊ।
(9) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, नगर एवं ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(यू0के0एस0 चौहान)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASHAN

KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no. K.N.5-1/11-2001-500 (137)/99 dated January 1, 2001.

NOTIFICATION

No.K.N.-5-1/11-2001&500 (137)/99

Dated, Lucknow January 1, 2001

In exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Indian Stamp Act, (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2000 (U.P. Ordinance no.18 of 2000) the Governor is pleased to appoint January 8, 2001 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

By order,
Sd/-Illegible
(T.GEORGE JOSEPH)
Pramukh Sachiv.

दिनांकः 29 दिसम्बर, 2000 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 खण्ड (क) में प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या–2585 / सत्रह–वि–1–2(क)17 / 2000

लखनऊ :दिनांकः 29 दिसम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश–2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–18 सन् 2000) प्रख्यापित किया है, को इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

आज्ञा से,

(योगेन्द्र राम त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2585(1) / सत्रह–वि–1–2(क)17 / 2000 तददिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 को इस अनुरोध के साथ कि अध्यादेश के सम्बन्ध में ज्ञापन–पत्र को तैयार करके विधायी अनुभाग–1 से विधीक्षित कराकर उसकी दो प्रतियॉ तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(6) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(7) श्री राज्यपाल के सचिव, उत्तर प्रदेश।
(8) विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(9) भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(10) संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(11) विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(एस0के0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2000

(भारत गणराज्य क इक्यानवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

अध्यादेश

भारत गणराज्य के इक्यानवे वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाया जाता हैः–

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नही है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह अध्यादेश भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 में कहा जायेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।
अधिनियम संख्या– 2 सन् 1899 की अनूसूची–1–ख की संशोधन	(2)	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1–ख–में, (क) अनुच्छेद 17–क में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से सम्बन्धित स्तम्भ में ''शब्द '' ''दो सौ पचास रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पॉच सौ रूपय'' रख दिये जायेगे, (ख) अनुच्छेद 17–ख में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से संबंधित स्तम्भ में शब्द ''पॉच सौ रूपये) के स्थान पर, शब्द '' दो हजार रूपये'' रख दिये जायेगें, (ग)–अनुच्छेद 35 (पट्टा) में– (एक) खण्ड (क) उपखण्ड ;टप्द्ध ;टप्प्द्ध और ;टप्प्द्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेगें, अर्थातः–

(टप)''जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पर्वित है या किसी अनिश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नही है,

''वहीं शुल्क जो सम्पत्ति जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (संख्या 23 खण्ड (क)) पर देय हो।

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेगे अर्थातः–

(ब) जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियत के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नही है :–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्वित है,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (संख्या–23 खण्ड) (क)) पर देय हो।''
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्तित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्ताक्षरण पत्र (संख्या 23 खण्ड (क)) पर देय हो।

(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किये गये भारक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया हैः–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है।	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिमधन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (संख्या–23 खण्ड (क)) पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त

होगा जो उस दशा में जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नही दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता,

परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।

(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हैः

वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (संख्या–23 खण्ड (क)) पर देय हो।''

(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगा।

(विष्णु कान्त शास्त्री)

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

PUBLISHED IN PART-II (&) OF THE LEGISLITIVE SUPPLEMENT OF THE U.P. G.ZETEE EXTHAORDIN RY DATED DECEMBER 29, 2000

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1
NO. 2585 (2)/ XVII-V-1 (KA) 17/2000
Lucknow, Dated December 29, 2000

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is, pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 12 of 2000) promulgated by the Governor :-

By order,
(Y.R. TRIPATHI)
Pramukh Sachiv.

No. 2585 (3)/VII-V-1-2 (KA) 17/2000 of date

Copy forwarded for information and necessary action to-

1- Mukhya Mantri, Uttar Pradesh.
2- Mukhya sachiv, Uttar Pradesh Shashan.
3- Sachiv, Uttar Pradesh shashan, Kar Even Nihandhan Anubhag 5.
4- Sachiv, Vidhan Sabha, Uttar pradesh.
5- Sachiv, Vidhan parishad, Uttar Pradesh.
6- Soochna Nideshak, Uttar Pradesh.
7- Sri Rajyapal ke Sachiv, Uttar Pradesh.
8- Vidhi Parumarshi Pustakulaya, Uttar Pradesh Sachivalaya.
9- Bhasha an-ubhag-5, Uttar Pradesh Sachivalaya.
10- Sansadiya Karya Anubhag-1, Uttar Pradesh Sachivalaya.
11- Vidhayi Anubhag-2, Uttar Pradesh Sachivalaya.

By order,
(S.K. TRIPATHI)
VISHESH SACHIV EVAM
UPPER VIDHI PARAMARISHI.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2000

(U.P. Ordinance no. 18 of 2000)
(Promulgated by the Governor in the Fifty-first year of the Republic of India)

An
ORDINANCE

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

WHEREAS the state Legislature is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2000.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf:-

Amendment of Schedule 1-B of Act no.11 of 1899

2. In Schedule 1-B of the Indian Stamp Act -1899

(a) In Article 17-A, in the column relating to " Proper Stamp Duty", for the words" Two hundred and fifty rupees" the words" Five hundred rupees"shall be substituted:

(b) in Article 17-B, in the column relating to "Proper Stamp Duty" for the words" Five hundred Rupees" the words" "Two thousand rupees" shall be substituted,.

(c) In Article 35 (Lease)-

(1) in clause (a) for sub-clause (VI), (VII) and (VIII), the following clauses shall be substituted namely:-

(i) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years of in perpetuity or does not purport to be	The same duty as a Conveyance [(no. 23 clause (a)] for a consideration equal

for any definite term.	the market value of property which is the subject of the Lease.

(ii) for clauses (b) and (c) the following clauses shall be substituted, namely :-

"(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved,-	
(1) Where the Lease purport to be for a term not exceeding thirty years:	The same duty as a Conveyance [(No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(11) Where the lease purports to be for term exceeding thirty years:	The same duty as a Conveyance [(No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease.
"(c) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved,-	
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding thirty Years:,	The same duty as a Conveyance [(No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the amount of value of such fine or premium of advance as set for in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if, no fine or premium or advance had been paid of delivered: Provided that in a case when an agreement to lease is stamped with the ad valorem stamp required for lease, and a lease in pursuance of such

	agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed fifty rupees.
(ii) where the Lease purports to be for term exceeding thirty yeans.	The same duty as a Conveyance [(no. 23 clause (a)] for a consideration equal to the market value of the property, which is subject of the lease.

(111) Explanation (5) shall be omitted.

VISHNU KANT SHASHTRI
Governor. Uttar Pradesh.

By order,

Sd/-

Y.R. TRIPATHI
Pramukh Sachiv.